दिनांक 06.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 07/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना सिधौली

●पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

●01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)

●12 हजार रूपये नगद

●01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 06.06.2024 को थाना सिधौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बाड़ी से लक्ष्मनपुर मुडाडीह जाने वाली सड़क पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 12 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना थानगॉव पर पंजीकृत चोरी के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सीतापुर, रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिधौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय कुमार निवासी ग्राम लोनियनपुरवा बेदौरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–12 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

●15 हजार रूपये का पुरस्कार पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

●चोरी की 01 कार

●2500/—रूपये नगद आदि बरामद

दिनॉकः 06.06.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लिंकू उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 कार, 2500/—रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लिंकू उर्फ रिंकू निवासी ग्राम जलसो थाना पचपेडी जनपद बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बरामदगी

1—चोरी की 01 कार।

2—2500/—रूपये नगद आदि।

जनपद सम्भल/थाना ऐचौड़ा कम्बोह

●पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

●01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)

●01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 06.06.2024 को थाना ऐचौड़ा कम्बोह व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पनसुखनहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशाों ने पुलिस टीम पर जान से

मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अयान उर्फ मूशा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सम्भल के विभिन्न थानों पर चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ऐचौड़ा कम्बोह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अयान उर्फ मूशा निवासी हिलाली सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट मेरठ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 80 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 06.06.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना सर्विस रोड़ पटेल नगर–2 के पास से 03 अभियुक्तों 1–इमरान 2–जीशान 3–वसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 80 किलोग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—इमरान निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—जीशान निवासी रमजान होटल के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3—वसीम निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 80 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3—01 कार।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को मृत्युदण्ड की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/307/147/148/341/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—भूपेन्द्र 2—अमरजीत 3—गुरूप्रताप 4—गुरनीत 5—गुरमीत को मृत्युदण्ड व प्रत्येक को 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना पिहानी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पिहानी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अलाउद्दीन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जहाँगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रमोद कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/511 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 13 क्विंटल 81.60 किग्रा0 डोडा के साथ गिरफ्तार ।</u>

दिनांक 06-06-2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यो को 13 क्विंटल 81.60 किग्रा0 डोडा (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 42 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1. अनवार पुत्र अबरार निवासी मोहल्ला इद्रपुरी रिठौरा, थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली (ड्राइवर)

2- निजाम पुत्र निषारूद्दीन, निवासी बेनीपुर, थाना बिथरीचैनपुर, जनपद बरेली

बरामदगीः—

1- 13 क्विंटल, 81.60 किग्रा0 डोडा_(अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 42 लाख रूपये)

2- 01 अदद ट्रक यूपी—25 डीटी—1062 ।

3- 540/— रूपये नगद।

4— 01 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः—

मेंहदीखेडा निर्माणवत पुल, कस्बा सफीपुर, जनपद उन्नाव । दिनांक—06-06-2024 समय—04:30 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री प्रताप नारायण के नेतृत्व में मु0आ0 दिलीप कुमार,, मु0आ0 सरोज कुमार अवस्थी, मु0आ0 कुलदीप सिंह, मु0आ0 मुकेष प्रजापति, व आ0 चालक नीरज कुमार एसटीएफ की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 01 ट्रक जो की जनपद बरेली नम्बर की गाड़ी है, झारखण्ड से डोडा लोड करके बरेली निवासी असलम के पास जाने वाली है। इस सूचना को विकसित करते हुए, एसटीएफ मुख्यालय स्थित टीम जनपद—उन्नाव रवाना हुयी। जनपद उन्नाव पहुँचकर मुखबिर के बताये हुए स्थान मेंहदीखेडा निर्माणाधीन पुल, कस्बा सफीपुर के पास उक्त ट्रक का इन्तजार करने लगे। कुछ समय पश्चात मुखबिर द्वारा बताया गया ट्रक आता हुआ दिखायी दिया, जिसे रोक कर चेक किया गया तो ट्रक में अवैध मादक पदार्थ डोडा मिला जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 42 लाख रूपये है। उक्त ट्रक के ड्राइवर एवं सहयोगी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछतांछ पर बताया कि वे आर्थिक लाभ के लिए यह काम करते है, जिसके लिए इन्हे प्रति चक्कर 25000/– रूपये मिलते है। इन लोगों को जनपद बरेली निवासी असलम ने डोडा लेने के लिए भेजा था। असलम द्वारा इन लोगों को बताया गया था कि झारखण्ड के रांची हाईवे पर 01 व्यक्ति मिलेगा जिसके यहां से अवैध मदाक पदार्थ डोडा लोड होना है। इन लोगों ने उक्त ट्रक में बरेली से कूलर लादकर जमषेदपुर झारखण्ड गये थे जहां पर कूलर अनलोड करने के पश्चात असलम के बताये हुए स्थान रांची हाईवे पर पहुचे वहां पर 01 व्यक्ति खडा हुआ मिला, जो इन लोगों को एक स्थान पर ले जाकर अवैध मादक पदार्थ डोडा लोड करवाया था जिसे यह लोग नहीं जानते है। असलम द्वारा इस अवैध मादक पदार्थ को पंजाब, हरियाणा,दिल्ली उत्तराखण्ड राज्य एवं बरेली के आस–पास के जनपदों में अच्छे दामों पर बेचता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव पर मु0अ0सं0–155/2024 , धारा– 8/15/29/60 (3) एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>एस0टी0एफ0–थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत मु0अ0स0 408/10 में वांछित रू0 50000/–का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राज कुमार पाण्डेय गिरफ्तार।</u>

दिनाकः 05–06–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0 408/10 धारा 411/414 भादवि एवं 41/102 सीआरपीसी के अभियोग में चौदह साल से फरार चल रहें वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को पटना बिहार से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

1– राजकुमार पाण्डेय पुत्र कमलदीप पाण्डेय, निवासी मजरिया, थाना छपरा, बिहार, हाल पता–100/1 मैन रोड बुद्वा कालोनी, थाना बुद्वा कालोनी, जनपद पटना बिहार ।

<u>बरामदगी–</u>

1– 01 अदद आधार कार्ड

2– 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—

दिनांक 05—06—2024 समयः लगभग 18.40 बजे, बुद्वा कालोनी, थाना बुद्वा कालोनी, पटना बिहार।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। । इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी एवं उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम दिनांक 05—06—2024 को उपरोक्त ईनामी अपराधी के सम्बन्ध में पतारसी सुरागरसी हेतु पटना बिहार में भ्रमणशील थी तो अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को ज्ञात हुआ कि थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद के मु0अ0सं0 408/10 धारा 411/414 भादवि एवं 41/102 सीआरपीसी के अभियोग में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी राजकुमार पाण्डेय, पटना बिहार की बुद्वा कालोनी में मकान संख्या 100/1 में रहता है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा थाना बुद्वा कालोनी, जनपद पटना बिहार पुलिस को अवगत कराते हुए, साथ लेकर पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को उपरोक्त स्थल से समय करीब 18.40 बजे गिरफ्तार कर लिया गया । तदोपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा थाना बुद्वा कालोनी, पटना बिहार में विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ईनामी अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के उक्त अभियोग में दाखिल करने हेतु लाया गया। इसके पश्चात अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को दिनांक 06—06—2024 को समय 12.27 बजे थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के मु0अ0सं0 408/10 धारा 411/414 भादवि एवं 41/102 द0प्र0सं0 के अभियोग में दाखिल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 52 साल है और उसने स्नातक की पढाई की है। बताया कि पढाई के उपरान्त उसने वर्ष 2001 से 2005 तक दवाईयों को बेचने का काम किया था। इसके बाद उसने बिहार मेडिकल हॉल के नाम से दवाईयों की

अपनी दुकान पटना में खोली थी परन्तु दुकान अच्छी नही चल रही थी। उसी दौरान अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय की मुलाकात नगद नारायण पुत्र राम सिंह निवासी, छपरा बिहार से हुई थी, जो उसका दूर का रिश्तेदार था, जिसके माध्यम से अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय की मुलाकात जनपद लखनऊ के रहने वाले कर्नल एम0पी0 सिंह से हुई थी, जो चोरी की गाडियों को खरीदने–बेचने का काम करता था। इसके बाद अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय ने नगद नारायण के साथ मिलकर चोरी की गाडियों को खरीदने एवं बेचने का काम करना शुरू कर दिया । वर्ष 2009 में थाना कालकाजी, दिल्ली पुलिस द्वारा अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को चोरी की गाडियों की खरीद–फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय के विरूद्व थाना कालकाजी दिल्ली पर मु0अ0स0ं 329/09 धारा 379/468/471/482 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ। इस अभियोग में जमानत पर छूटने के उपरान्त अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय ने नगद नारायण के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में अपराधिक घटना करने लगा। वर्ष 2010 में नगद नारायण चोरी की गाडी के साथ पकडा गया था तथा अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय भाग गया था। तभी से अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के उक्त अभियोग में फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (अपराध/मुख्यालय) गाजियाबाद के स्तर से रूपया 50,000/ का पुरष्कार घोषित किया गया था ।

अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहास हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	329/09	379/468/471/482 भादवि	कालकाजी	दिल्ली
2	408/10	411/414 भादवि एवं 41/102 द0प्र0सं0	मुरादनगर	गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को थाना मुरादनगर जनपद के मु0अ0सं0 408/10 धारा 411/414 भादवि एवं 41/102 द0प्र0सं0 के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———–